

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1-09/2014...../ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य में सम्यक क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 28.03.2014 द्वारा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। उक्त परिषद् में सदस्यों के रिक्त हुए चार पदों के विरुद्ध निम्नांकित व्यक्तियों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

1. कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।
2. कुलपति, बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3. प्रधानाचार्य, मगध महिला महाविद्यालय, पटना।
4. श्री (डा०) हरपाल कौर, प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र, बी0एन0कॉलेज, भागलपुर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(के०सेंथिल कुमार)


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-15/एम 1-09/2014-1536 /

पटना, दिनांक 20/10/2016

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय/प्रधान सचिव, योजना विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/संबंधित सभी मनोनीत सदस्य/ सदस्य सचिव, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्/प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई०टी०मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।

  
(के०सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

